

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072024-255826 CG-DL-E-28072024-255826

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] No. 56] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

# रक्षा मंत्रालय सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.नि.आ. 56(अ).—पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए।

और जबिक, उक्त ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, बढ़ते शहरी समूहों, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा घोषित जनगणना कस्बों, अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनिशप, भारतीय रेल, हवाई अड्डों, एयरबेस, बंदरगाहों एवं पत्तनों, रक्षा स्थापनों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य और केन्द्रीय सरकार के संगठनों के नियंत्राधीन क्षेत्रों, तीर्थ स्थलों, धार्मिक और संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और औद्योगिक अपिशष्ट, खतरनाक अपिशष्ट, खतरनाक रसायन, जैव चिकित्सा अपिशष्ट, ई-अपिशष्ट, लैड एसिड बैटरी तथा रेडियो-सिक्रय अपिशष्ट के अतिरिक्त प्रत्येक घरेलू, संस्थागत, वाणिज्यिक और किसी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपिशष्ट उत्पाद्य क्षेत्रों पर लागू होंगे, जो उक्त अधिनियम के अधीन अलग से बनाए गए नियमों के अंतर्गत आते हैं;

और जबिक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 का खंड (ड) स्थानीय प्राधिकारियों को उक्त नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर उपविधि बनाने हेतु बाध्य करता है;

अत: अब, महू छावनी बोर्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के साथ पठित छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 348 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप उपविधियां बनाने का 4544 GI/2024

प्रस्ताव प्रस्तुत करता है जो छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 350 की उप-धारा (1) की अपेक्षा अनुसार, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया गया है और सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप उपविधियों पर उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति पश्चात विचार किया जाएगा जिस दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी;

इन प्रारूप उपविधियों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य अधिशासी अधिकारी, महू छावनी बोर्ड को प्रेषित किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप उपविधियों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

# महू छावनी बोर्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियां, 2024

#### अध्याय ।

#### सामान्य

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम महू छावनी बोर्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियां, 2024 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना -** ये उपविधियां मह छावनी की क्षेत्राधिकार सीमाओं के भीतर लागू होगी।
- 3. परिभाषाएं- (1) इन उपविधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
  - (क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;
  - (ख) "बोर्ड" से महू छावनी बोर्ड अभिप्रेत है;
  - (ग) "उद्यान और बागवानी अपशिष्ट का ढेर" से पार्कों तथा बगीचों से अपशिष्ट का ढेर, जिसमें घास की कतरन, खरपतवार, 'ब्राउन' कार्बन युक्त सामग्री जैसे छंटाई, शाखाएं, टहनियाँ, लकड़ी की छीलन, पुआल (स्ट्रा), सूखे पत्ते, पेड़ों की कांट-छांट और ऐसे अन्य अपशिष्ट शामिल हैं, जिन्हें जैविक अपशिष्ट के लिए दैनिक संग्रहण प्रणाली में समायोजित नहीं किया जा सकता अभिप्रेत है;
  - (घ) **"ढेर अपशिष्ट उत्पाद्य"** से वही अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 3 के उप नियम (1) के खंड 8 के में दिया गया है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य अपशिष्ट उत्पाद्य है:
  - (ङ) **"संग्रहण"** से अपशिष्ट उत्पाद्य के स्रोत, संग्रहण स्थल या किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाना तथा हटाना अभिग्रेत है;
  - (च) **"सक्षम प्राधिकारी"** से बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है:
  - (छ) **"निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट"** से वही अपशिष्ट अभिप्रेत होगा जिसे निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम 3 के उप नियम (1) के खंड (ग) के अंतर्गत समनुदेशित किया गया है;
  - (ज) **"स्वच्छ क्षेत्र"** से किसी परिसर के सामने या उसके चारों ओर या उससे लगा हुआ कर्ब साइड तक विस्तारित और नाले, पगडंडी तथा स्वच्छ कर्ब और इन उपविधियों के अनुसार अनुरक्षित सार्वजनिक स्थान अभिप्रेत है;
  - (झ) "सामुदायिक अपशिष्ट भंडारण डिब्बा" से बोर्ड या एक या इससे अधिक परिसरों के स्वामियों या अधिभोगियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा अपने परिसरों में सामूहिक रूप से सड़क के किनारे या ऐसे किसी एक स्वामी या अधिभोगी के परिसर में पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट के भंडारण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी एक परिसर में स्थापित की गई भंडारण सुविधा (जिसे इसमें इसके पश्चात ढलाव कहा गया) अभिप्रेत है;
  - (ञ) **"कंटेनर रूपी हथठेला"** से ठोस अपशिष्ट स्थलों से उसके संग्रहण के लिए बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी या एजेंट द्वारा प्रदान किया गया हथठेला अभिप्रेत है;
  - (ट) "परिदान" से बोर्ड के कर्मचारी या बोर्ड द्वारा नियुक्त, अधिकृत या लाइसेंस प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति या बोर्ड द्वारा अधिकृत अथवा लाइसेंस प्राप्त किसी एजेंसी को किसी भी श्रेणी के ठोस अपशिष्ट को सौंपना या उसे

बोर्ड द्वारा ऐसा करने के लिए प्रदत्त किसी वाहन में जमा करना अभिप्रेत है;

- (ठ) "ई-अपशिष्ट" से वही अभिप्रेत है जो ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3 के उप नियम (1) के खंड (द) में समनुदेशित है;
- (ड) "फिक्सड कॉम्पेक्टर अंतरण स्टेशन" से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को दबाने हेतु बनाई गई और प्रचालन के दौरान स्थिर रहने वाली संचालित मशीन तथा प्रचालन के दौरान कॉम्पेक्टर गतिशील भी रह सकता है, जिसे मोबाइल स्थानांतरण स्टेशन कहा जाएगा. अभिप्रेत है:
- (ढ) "कूड़ा" से इन उपविधियों के अधीन यथा निषिद्ध समस्त अविशष्ट और इसमें सम्मिलित फेंका गया या जमा किया गया कोई भी अन्य अपिशष्ट पदार्थ, जो किसी भी व्यक्ति, जानवर, पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए बाधा या खतरा उत्पन्न कर सकता है, अभिप्रेत है;
- (ण) **"कूड़ा फेंकना"** से किसी भी कूड़े का ढेर लगाना जिससे कूड़ा गिरे, खिसके, उड़े, धुले, टपके अथवा उसके शेष रहने अथवा गिरने, फैलने, उड़ने, धुलने, टपकने की संभावना हो या किसी खुले या सार्वजनिक स्थान पर कुड़ा डालने, रखने, दबाने की अनुमित देना अभिप्रेत है:
- (त) "स्वामी" से किसी भी भवन, या भूमि या उसके किसी भाग पर मालिकाना अधिकारों का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है:
- (थ) "अधिभोगी" से किसी भी प्रयोजन से किसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग का अधिभोग या कब्जा करने वाला व्यक्ति जो किसी भी प्रयोजन से ऐसी भूमि, भवन या उसके किसी भाग का उपयोग कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर करता है, अभिप्रेत है;
- (द) "गोली बनाना" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें ठोस अपशिष्ट से छोटी घन या बेलनाकार टुकड़े वाली गोली बनाई जाती है, इसमें ईंधन गोली भी शामिल हैं जिन्हें अवशिष्ट जिनत ईंधन भी कहा जाता है;
- (ध) "सार्वजनिक स्थल" से जनता के उपयोग और मनोरंजन के लिए खुला स्थान, चाहे वह जनता द्वारा वास्तव में उपयोग किया जाए या इसे मनोरंजन हेतु प्रयोग किया जाए अथवा नहीं किया जाए, ऐसा कोई भी स्थान अभिप्रेत है:
- (न) "भंडारण" से ठोस अपशिष्ट का अस्थाई समाविष्ट इस प्रकार किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा फेंकना, रोगवाहक कीटाणुओं, आवारा पशुओं और अत्यधिक दुर्गंध से बचाव संभव हो;
- (प) "सफाई कर्मचारी" से ठोस अपशिष्ट के एकत्रण या उसे हटाने या महू छावनी क्षेत्र में नालियों की सफाई के लिए बोर्ड अथवा इसके द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (फ) "अनुसूची" से इन उपविधियों में उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ब) "उपयोक्ता फीस या प्रभार" से समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ठोस अपशिष्ट संग्रहण, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान सेवाओं हेतु पूर्ण या आंशिक लागत को पूरा करने के लिए अपशिष्ट उत्पादकों पर समय-समय पर बोर्ड द्वारा लगाई गई फीस या प्रभार अभिप्रेत हैं; और
- (भ) **"खाली प्लॉट"** से तात्पर्य किसी व्यक्ति या प्राइवेट एजेंसी या सरकारी एजेंसी या सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंधनाधीन या उसके पास कोई भूमि या खुला स्थान है जिस पर कोई कब्जा नहीं है, अभिप्रेत है;
- (2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो छावनी अधिनियम, 2006, ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 तथा निर्माण और विध्वंस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में दी गई परिभाषा में समनुदेशित है।

# अध्याय 2

# ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण और प्राथमिक भंडारण

- 4. स्रोत पर ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण- (1) सभी अपशिष्ट उत्पादकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने स्थानों से नियमित रूप से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का तीन चरणों में पृथक्करण और भंडारण करें, अर्थात:-
  - (क) अजैविक या सूखा अपशिष्ट;
  - (ख) जैविक या गीला अपशिष्ट;

- (ग) घरेलू खतरनाक अपशिष्ट और इसे ढके हुए कूड़ादानों में निक्षेप करना, और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पृथक्कृत अपशिष्ट को निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्राहकों को सौंपना।
- (2) प्रत्येक ढेर अपशिष्ट उत्पाद्य को अपने स्थानों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का तीन चरणों में पृथक्करण तथा भंडारण करना होगा, अर्थात:-
  - (क) अजैविक या सूखा अपशिष्ट;
  - (ख) जैविक या गीला अपशिष्ट:
  - (ग) खतरनाक अपशिष्ट को उपयुक्त कूड़ादानों और पृथक्कृत अपशिष्ट को अधिकृत अपशिष्ट संग्रहण एजेंसी के माध्यम से बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ढुलाई फीस के भुगतान सहित अधिकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं या निक्षेप (डिपॉजिट) केंद्रों को सौंपना।
- (3) पृथक्कृत अपशिष्ट के भंडारण के लिए जैविक अपशिष्ट के कूड़ादानों का रंग हरा, अजैविक या सूखे अपशिष्ट के कूड़ादानों रंग नीला और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के कूड़ादानों का रंग काला होगा।
- (4) सभी रेजीडेंट वेल्फेयर और बाजार संघ बोर्ड के साथ सहभागिता से उत्पादकों द्वारा स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपशिष्ट के संग्रहण हेतु अलग-अलग सुविधा प्रदान करेंगे, रिसाइकिल योग्य सामग्री को अधिकृत कूड़ा बीनने वाले या अधिकृत रिसाइकिल प्रक्रिया करने वालों को सौंपेंगे।
- (5) जहां तक संभव हो, जैविक कूड़े का प्रसंस्करण, उपचार और निपटान परिसर के भीतर कंपोजिटिंग या जैव-मिथेनीकरण के माध्यम से किया जाएगा तथा अविशष्ट कचरा बोर्ड द्वारा निर्देशित अपशिष्ट ग्राहक या एजेंसी को प्रदान किया जाएगा।
- (6) सभी गेटबंद कम्युनिटी और 5,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले संस्थान बोर्ड के साथ सहभागिता से उत्पादकों द्वारा स्रोत पर अपिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे; पृथक्कृत अपिष्ट के संग्रहण हेतु अलग-अलग सुविधा प्रदान करेंगे, रिसाइकिल योग्य सामग्री अधिकृत कूड़ा बीनने वाले या अधिकृत रिसाइकिल प्रक्रिया करने वालों को सौंपेंगे।
- (7) जहां तक संभव हो, जैविक कूड़े का प्रसंस्करण, उपचार और निपटान परिसर के भीतर कंपोजिटिंग या जैव-मिथेनीकरण के माध्यम से किया जाएगा तथा अविशष्ट कचरा बोर्ड द्वारा निर्देशित अपिष्ट संग्राहक या एजेंसी को प्रदान किया जाएगा।
- (8) सभी होटल और रेस्तरां बोर्ड के साथ सहभागिता से उत्पादकों द्वारा स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपशिष्ट के संग्रहण के लिए अलग-अलग सुविधा प्रदान करेंगे, रिसाइकिल योग्य सामग्री को अधिकृत कूड़ा बीनने वाले या अधिकृत रिसाइकिल प्रक्रिया करने वालों को सौपेंगे।
- (9) जहां तक संभव हो, जैविक अपशिष्ट का प्रसंस्करण, उपचार और निपटान परिसर के भीतर कंपोजिटिंग या जैव-मिथेनीकरण के माध्यम से किया जाएगा तथा अविशष्ट अपशिष्ट बोर्ड द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्राहक या एजेंसी को प्रदान किया जाएगा।
- (10) कोई भी व्यक्ति निर्धारित उपयोक्ता फीस के भुगतान सहित कम से कम तीन कार्य दिवस पहले प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपयोक्ता फीस के भुगतान सहित बोर्ड को ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप से सूचित किए बगैर लाइसेंस प्राप्त किए बिना, किसी भी स्थान पर सौ से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा करते हुए समारोह या कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा और ऐसा व्यक्ति या ऐसे समारोह के आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेगा तथा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्राहक या एजेंसी को पृथक्कृत अपशिष्ट सौंपेगा।
- (11) प्रयुक्त स्वच्छता अपशिष्ट को इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउच या समाचारपत्र या उपयुक्त जैविक रैपिंग सामग्री में सुरक्षित तरीके से लपेटा जाता है और इसे अजैविक या सुखे अपशिष्ट के लिए रखे हुए कूड़ादानों में डाला जाता है।
- (12) प्रत्येक फेरीवाला अपनी गतिविधियों जैसे खाद्य अपिशष्ट, त्याज्य (डिस्पोजेबल) प्लेट, कप, कैन, रैपर, नारियल के खोले, शेष बचा भोजन, सब्जियां या फल से उत्पाद्य पृथक्कृत अपिशष्ट के भंडारण हेतु उपयुक्त कूड़ादान रखेगा और ऐसे अपिशष्ट को बोर्ड द्वारा अधिसूचित अपिशष्ट भंडारण डिपो या कंटेनर या वाहन में निक्षेप किया जाएगा।

(13) उद्यानों के उत्पाद्य और परिसरों से उत्पन्न बागवानी उत्पाद्य अपशिष्ट को परिसर स्वामी स्वयं अपने परिसर में अलग-अलग भंडारित करेगा और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अनुसार इसका निपटान करेगा।

5

- (14) घरेलू खतरनाक अपिशष्ट का भंडारण किया जाएगा और प्रत्येक अपिशष्ट उत्पादक द्वारा इसे बोर्ड या इसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी या मध्यप्रदेश राज्य सरकार या मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत ऐसे अपिशष्ट के संग्रहण हेतु समय-समय पर प्रदत्त संग्रहण वाहन को सौंपा जाएगा, या ऐसे अपिशष्ट का निपटान संग्रहण के लिए निर्दिष्ट केंद्र में मध्यप्रदेश राज्य सरकार या मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित रीति अनुसार किया जाएगा।
- (15) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंध अनुसार निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को अलग से संग्रहीत करके भंडारण तथा परिदान किया जाएगा।
- (16) किसी भी अनुपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, खतरनाक रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे अपशिष्ट का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों या विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
  - (17) निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजार के अतिरिक्त किसी भी परिसर के प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी,जो किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के परिणामस्वरूप मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट के उत्पादक हैं, उन्हें ऐसा अपशिष्ट अलग से बंद, स्वच्छ स्थिति में संग्रहीत करना होगा तथा इसे एक निर्दिष्ट समय पर बोर्ड द्वारा दैनिक आधार पर इस प्रयोजन हेतु प्रदत्त संग्रहण वाहन को सौंपा जाएगा:

परंतु ऐसे अपशिष्ट को किसी भी सामुदायिक अपशिष्ट के कूड़ादान में नहीं डाला जाएगा और इस प्रकार कूड़ा डालना निषेध है।

(18) यदि उत्पादक पृथक्कृत जैविक ठोस अपिशष्ट से खाद नहीं बनाता है तो इसे उसके परिसर के अंदर संग्रहित किया जाएगा और बोर्ड के कर्मचारी या वाहन; या कूड़ा बीनने वाले या अपिशष्ट संग्रहकर्ता या ऐसे समय बहुतायत जैविक अपिशष्ट उत्पन्न करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्पाद्यों हेतु जैविक अपिशष्ट के संग्रहण हेतु प्रदत्त वाहन में इसकी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

## अध्याय 3

# ठोस अपशिष्ट संग्रहण

- 5. ठोस अपशिष्ट का संग्रहण- (1) ठोस अपिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन में, बोर्ड के सभी क्षेत्रों या वार्डों, स्लम एवं अनौपचारिक बस्तियों सहित प्रत्येक घर से दैनिक आधार पर अपिष्ट एकत्रण हेतु घर-घर जाकर संग्रहण की अनौपचारिक प्रणाली को बोर्ड संग्रहण प्रणाली के साथ एकीकृत करके प्रत्येक घर जाकर पृथक्कृत ठोस अपिष्ट के संग्रहण को लागु किया जाएगा।
  - (2) प्रत्येक घर से कूड़ा एकत्रित करने हेतु, क्षेत्रवार विशिष्ट समय स्लॉट तैयार किए जाएंगे और उस क्षेत्र के विशिष्ट स्थानों तथा बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
  - (3) घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण का समय प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक नियत किया जाएगा।
  - (4) व्यापारिक स्थापनों, व्यावसायिक क्षेत्रों की दुकानों या किसी अन्य संस्थागत अपशिष्ट उत्पादकों से अपशिष्ट संग्रहण का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा।
  - (5) घरों, संस्थानों और वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट संग्रहक को कूड़ा सौंपा जाएगा।
  - (6) ढेर अपशिष्ट उत्पादकों से अविशष्ट ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की व्यवस्था की जाएगी, जो अपशिष्ट को स्व-स्थाने संसाधित कर रहे हैं।
  - (7) सब्जी, फल, फूल, मांस, मुर्गी और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट को दिन-प्रतिदिन आधार पर एकत्रित किया जाएगा।
  - (8) बागवानी तथा उद्यान अपशिष्ट को अलग से एकत्रित करके सप्ताह में निर्धारित एक या दो दिन में उसका निपटान किया जाएगा।

- (9) फल एवं सब्जी मंडी, मांस एवं मछली बाजार, थोक बागवानी एवं उद्यान अपशिष्ट के जैविक अपशिष्ट का इष्टतम उपयोग करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत को कम करने हेतु ऐसे अपशिष्ट को उस क्षेत्र के अंदर संसाधित या उपचारित किया जाएगा जहाँ से यह अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
- (10) कंटेनरों में अपशिष्ट की मैनुअल हैंडलिंग निषिद्ध होगी और; यदि अप्रत्याशित बाधाओं के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हुआ, तो श्रमिकों की संरक्षा हेतु उचित मानदंडों सहित उपयुक्त सुरक्षा के अंतर्गत मैनुअल हैंडलिंग की जाएगी।
- (11) अपशिष्ट उत्पादक बोर्ड या अधिसूचित अधिकृत अपशिष्ट संग्राहक द्वारा तैनात ऑटो-टिप्पर्स या रिक्शा आदि को अपना पृथक्कृत अपशिष्ट सौंपने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (12) बहु-मंजिला इमारतों, अपार्टमेंटों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से पृथक्कृत अपशिष्ट को प्रवेश द्वार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्रित किया जाए।
- (13) समय-समय पर संग्रहण उपस्करों और वाहनों के चयन हेतु प्रौद्योगिकी की परिवर्तित आवश्यकताओं तथा समुन्नत रूपों को ध्यान में रखा जाएगा।
- (14) ऑटो-टिप्पर या हाइड्रॉलिक रूप से संचालित हॉपर सिहत विशिष्ट क्षमता वाले हूटर लगे वाहनों, जिनमें जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट के लिए छत से ढके हुए दो अलग-अलग कूड़ादानों की व्यवस्था होती है, को अपशिष्ट संग्रहण के लिए तैनात किया जाएगा।
- (15) अपशिष्ट संग्राहकों द्वारा आवाज रिकॉर्ड किया गया स्वचालित उपकरण, घंटी या हॉर्न या अन्य उपयुक्त उपकरण, जिसमें ध्विन का स्तर अनुमत से अधिक नहीं हो, प्रयोग में लाए जा रहे प्रत्येक अपशिष्ट संग्रहण वाहन पर लगाया जाएगा।
- (16) बोर्ड या अधिसूचित अधिकृत अपशिष्ट संग्राहक द्वारा प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण और ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं (रूट प्लान) तैयार की जाएंगी।
- (17) बोर्ड द्वारा अनुमोदित सारणीबद्ध (टेबुलर) और भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र प्ररूप में इन मार्गों के प्रारम्भ स्थान, आरंभिक समय, प्रतीक्षा स्थान, मार्ग पर प्रतीक्षा समय, अंतिम स्थान और निर्दिष्ट रूट के अंतिम समय का उल्लेख किया जाएगा।
- (18) बोर्ड या अधिसूचित अधिकृत अपशिष्ट संग्राहक प्रत्येक गली में एक 'बोर्ड' लगाएगा जिस पर वहाँ के निवासियों को निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहनों की समय-सारणी प्रदर्शित की जाएगी और ऐसी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।
- (19) संकरी गलियों में, जहां ऑटो टिपर या वाहन द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जा सकती, वहाँ मोबाइल स्थानांतरण स्टेशन सुसंगत तिपहिया वाहन या हाइड्रॉलिक रूप से संचालित हॉपर सहित छोटा मोटर चालित हूटर लगा वाहन तैनात किया जाएगा, जिसमें छत से ढके हुए गीले एवं सूखे अपिशष्ट के लिए दो अलग-अलग कूड़ादानों की व्यवस्था होती है।
- (20) व्यस्त और संकरी गलियों में, जहां तिपहिया वाहन या किसी भी उपयुक्त छोटे वाहन द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जा सकती, वहाँ साइकिल रिक्शा या किसी अन्य प्रकार का उपयुक्त उपस्कर तैनात किया जाएगा।
- (21) छोटी, संकरी या व्यस्त गलियों या लेनों जहाँ तिपहिया वाहन या रिक्शा या अन्य प्रकार का कोई उपयुक्त वाहन भी नहीं चल सकता है, वहाँ मोहल्ला या गली के आरंभिक स्थान पर सुविधा बिंदुओं का निर्धारण करके संग्रहण वाहन खड़ा किया जाएगा और वाहन का हेल्पर या ड्राइवर अपने पास एक सीटी रखेगा तथा ठोस अपशिष्ट के एकत्रण हेतु वाहन के आगमन की घोषणा करने हेतु इलाके में घूमेगा।
- (22) ऐसी संग्रहण प्रणाली के लिए समय-सारणी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
- (23) प्रत्येक घर यह सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार होगा कि अलग किया हुआ अपशिष्ट अभिहित स्थान पर संग्रहकर्ता को प्रदान कर दिया गया है।
- (24) इस सेवा में तैनात ऑटो टिपर, तिपहिया वाहन, रिक्शा तथा अन्य किस्म का कोई भी संग्रहण वाहन केवल घरों से ही अपशिष्ट एकत्रित करेंगे और किसी अन्य स्रोत जैसे ढलावों, खुले स्थान, मैदान, कूड़ादानों या नाले से अपशिष्ट एकत्रित नहीं करेंगे।

भारत का राजपत्र : असाधारण

(25) बोर्ड या इसके अधिसूचित अधिकृत अपशिष्ट संग्राहक प्रत्येक जोन की सभी गलियों या लेनों से ठोस अपशिष्ट का प्राथमिक संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

#### अध्याय 4

# ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक भंडारण

- 6. **द्वितीयक भंडारण स्थलों पर ठोस अपशिष्ट का भंडारण** (1) घर-घर जाकर एकत्रित किए गए ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट भंडारण डिपो, सामुदायिक भंडारण कूड़ादानों या फिक्स्ड अथवा मोबाइल स्थानांतरण स्टेशनों या बोर्ड द्वारा द्वितीयक भंडारण हेतु निर्दिष्ट स्थलों पर ले जाया जाएगा।
  - (2) ऐसे द्वितीयक भंडारण स्थलों पर अलग-अलग भंडारण के लिए ढके हुए, निर्दिष्ट रंग वाले, निम्नलिखित कंटेनर होंगे, अर्थात:-
    - (क) अजैविक या सूखा अपशिष्ट;
    - (ख) जैविक या गीला अपशिष्ट;
    - (ग) घरेलू खतरनाक अपशिष्ट।
  - (3) बोर्ड द्वारा सीमांकित क्षेत्रों में पृथक्कृत अपशिष्ट डालने हेतु विभिन्न रंगीन कंटेनरों का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात:-
    - (क) जैविक अपशिष्ट के लिए हरा रंग;
    - (ख) अजैविक अपशिष्ट के लिए नीला रंग;
    - (ग) घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए काला रंग।
  - (4) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अधीन बोर्ड विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट के भंडारण तथा वितरण हेतु निर्धारित पात्रों की अनिवार्य कलर कोर्डिंग तथा अन्य विशेष विवरण के लिए अलग से समय-समय पर विनिर्देश अधिसूचित करेगा, जिससे कि बगैर किसी मिश्रण या अपशिष्ट के रिसाव से सुरक्षित और आसान संग्रहण संभव हो और विभिन्न अपशिष्ट उत्पाद्यों को इनका पालन करना होगा।
  - (5) बोर्ड स्वयं अपने या आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के भंडारण स्थलों का रखरखाव ऐसे तरीके से करेगा जिससे इनके आस-पास अस्वच्छता तथा गंदगी नहीं फैल पाए।
  - (6) बोर्ड या इसकी किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा द्वितीयक भंडारण डिपो में विभिन्न आकार और इन उपविधियों में उल्लिखित विभिन्न रंगों के कंटेनर उपलब्ध कराए जाएंगे।
  - (7) भंडारण स्थलों का निर्माण और स्थापना किसी निर्धारित क्षेत्र में अपिशष्ट उत्पादन की मात्रा तथा जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए की जाएगी और ऐसी भंडारण सुविधाएं उपयोक्ता के अनुकूल होंगी तथा इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ये सुनिश्चित हो कि अपिशष्ट का संघनन (कॉम्पैक्शन) किया जाए एवं संग्रहीत अपिशष्ट खुले वातावरण के संपर्क में नहीं आ पाए।
  - (8) सभी हाउसिंग सहकारी समितियों, संगमों, कॉलोनियों, आवासीय एवं वाणिज्यिक स्थापनों या गेट लगी कम्युनिटी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कॉम्प्लेक्स में उपयुक्त स्थानों पर इन उपविधियों में निर्धारित रंग के स्वयं द्वारा खरीदे गए साफ-सुथरे एवं अच्छी स्थिति वाले कूड़ादान पर्याप्त संख्या में रखें, जिससे कि वहाँ उत्पन्न दैनिक अपशिष्ट को यथोचित निक्षेप किया जा सके।
  - (9) बोर्ड या उसके दवारा अधिकृत एजेंसी नियमित रूप से सभी कूड़ादानों की धुलाई और उनका कीटाणुशोधन करेगी।
- 7. सूखे (अजैविक) अपशिष्ट हेतु रिसाइकिल केंद्र- (1) बोर्ड आवश्यकतानुसार अपने मौजूदा ढलावों को परिवर्तित कर देगा या 'रिसाइकलिंग केंद्र' के लिए विशिष्ट स्थानों का पता लगाएगा जिसका प्रयोग गलियों या घर-घर जाकर अपशिष्ट एकत्रण सेवा के माध्यम से प्राप्त सूखे अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु किया जाएगा।
  - (2) सुखे अपशिष्ट की प्राप्त मात्रानुसार रिसाइकिल केंन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
  - (3) गिलयों या घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली और वाणिज्यिक संस्थापनाओं से प्राप्त सूखे (अजैविक) अपशिष्ट को केवल इन्हीं निर्दिष्ट 'रिसाइकिल केंद्रों' में स्थानांतरित किया जाएगा और ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा अपशिष्ट ही प्राप्त करेंगे।

- (4) घरों के लिए प्रावधान होगा कि वे इन रिसाइकिल केंद्रों पर अपने रिसाइकिल योग्य अपशिष्ट को पूर्व-निर्धारित दरों पर बोर्ड के अधिकृत एजेंटों या अधिकृत अपशिष्ट डीलरों को सीधे निक्षेप या बेच सकते हैं।
- (5) इस प्रयोजन हेतु डीलर प्रत्येक रिसाइक्लिंग इकाई में अनुमत स्थान पर तौल पैमाना तथा एक काउंटर स्थापित करेंगे।
- (6) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुरूप अधिकृत एजेंटों अधिकृत अपशिष्ट डीलरों, जैसा भी मामला हो, को केवल द्वितीयक बाजार या रिसाइकिल इकाइयों में रिसाइकिल योग्य अपशिष्ट के निपटान या बिक्री की अनुमित होगी।
- (7) अधिकृत एजेंट या अधिकृत अपशिष्ट डीलर ही बिक्री की वसूली करने हेतु हकदार होंगे।
- 8. विनिर्दिष्ट घरेलू खतरनाक अपशिष्ट हेतु निक्षेप केंद्र-(1) घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के संग्रहण एवं निर्दिष्ट घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्थान पर एक निक्षेप (डिपोजीशन) केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकार द्वारा निश्चित दिशानिर्देशों अनुसार ऐसी सुविधा प्रत्येक वार्ड में प्रदान की जाएगी और ऐसे अपशिष्ट की प्राप्ति का समय अधिसूचित किया जाएगा।
- (2) बोर्ड किसी अधिकृत एजेंट या रियायती संस्था को भी सभी अपशिष्ट उत्पाद्यों से पृथक्कृत घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दे सकता है और ऐसा अपशिष्ट सरकार द्वारा स्थापित खतरनाक अपशिष्ट निपटान सुविधा स्थल पर अलग से ले जाया जाएगा।

# ठोस अपशिष्ट की दुलाई

- 9. **ठोस अपशिष्ट की दुलाई-** ठोस अपशिष्ट की दुलाई निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, अर्थात्:-
  - (i) अपशिष्ट की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहनों को इस प्रकार से कवर किया जाएगा कि एकत्रित किया हुआ अपशिष्ट खुले वातावरण के संपर्क में नहीं आ पाए। वाहनों में बोर्ड द्वारा प्रौद्योगिकी के विकल्प के आधार पर कॉम्पैक्टर तथा मोबाइल स्थानांतरण स्टेशन भी सम्मिलित किए जाएंगे;
  - (ii) बोर्ड द्वारा स्थापित भंडारण स्थलों को अपशिष्ट हटाने के पश्चात प्रतिदिन साफ किया जाएगा और जिस स्थान पर कड़ादान या कंटेनर रखे जाते हैं. उसके आसपास के क्षेत्रों की भी साफ-सफाई की जाएगी;
  - (iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्रित पृथक्कृत जैविक अपशिष्ट को प्रसंस्करण संयंत्रों जैसे खाद संयंत्र, बायो-मिथेनीकरण संयंत्र या ऐसे किसी भी अन्य सुविधा स्थल तक ढककर अंतरित किया जाएगा;
  - (iv) जैविक अपशिष्ट के लिए, जहां भी लागू हो, स्थल पर ही (ऑन-साइट) ऐसे अपशिष्ट के प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी:
  - (v) एकत्रित अजैविक अपशिष्ट को संबंधित प्रसंस्करण स्थल या द्वितीयक भंडारण के स्थान तक पहुँचाया जाएगा;
  - (vi) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की ढुलाई की जाएगी;
  - (vii) बोर्ड समुचित रीति से इनर्ट्स (inerts) की ढुलाई के लिए व्यवस्था करेगा। कार्य समाप्त होते ही गलियों की सफाई से उत्पन्न अपशिष्ट और नाली की हटने योग्य गाद को तुरंत हटा दिया जाएगा;
  - (viii) ढुलाई वाहनों को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि अंतिम निपटान से पहले अपशिष्ट की बार-बार हैंडलिंग से बचा जा सके;
  - (ix) ढुलाई कार्यों में तैनात संग्रहण वाहन केवल मोबाइल स्थानांतरण स्टेशन या फ़िक्स्ड कॉम्पेक्टर स्थानांतरण स्टेशन, जहां कहीं भी प्रदत्त हैं, में ही अपशिष्ट निक्षेप या स्थानांतरित करेंगे;
  - (x) यदि किसी कारण से उस समय निर्दिष्ट स्थान पर मोबाइल स्थानांतरण स्टेशन या फ़िक्स्ड कॉम्पेक्टर स्थानांतरण स्टेशन अवस्थित नहीं है, तो 'भरा हुआ वाहन' मोबाइल स्थानांतरण स्टेशन या फ़िक्स्ड कॉम्पेक्टर स्थानांतरण स्टेशन के अगले निर्दिष्ट स्थान या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर अपशिष्ट खाली करेगा;
  - (xi) फिक्स्ड कॉम्पेक्टर स्थानांतरण स्टेशन की ढुलाई हुक लोडर के माध्यम से की जाएगी;

- (xii) मोबाइल स्थानांतरण स्टेशन या फ़िक्स्ड कॉम्पेक्टर स्थानांतरण स्टेशन अपशिष्ट की ढुलाई सीधे खाद संयंत्र अपशिष्ट से, ऊर्जा संयंत्र या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थल या संयंत्र पर करेगा;
- (xiii) अपशिष्ट की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अपशिष्ट को आपस में मिश्रित नहीं किया जाएगा;
- (xiv) गलियों से अपशिष्ट संग्रहण और अपशिष्ट ढुलाई की सेवाएं प्रतिदिन प्रदान की जाएंगी;
- (xv) इस सेवा में तैनात मोबाइल स्थानांतरण स्टेशन केवल निर्दिष्ट ऑटो टिपर, श्री व्हीलर्स या वाहन या गली स्तर पर प्रचालन से संग्रहीत अपशिष्ट के कूड़ादानों से ही अपशिष्ट प्राप्त करेंगे;
- (xvi) गली स्तर पर तैनात, तिपहिया वाहन या रिक्शा से अपशिष्ट प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर समर्पित मोबाइल स्थानांतरण स्टेशन की तैनाती की जाएगी और स्वीकृत मार्ग योजना के अनुसार घर-घर जाकर घरों एवं व्यावसायिक स्थापनों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया जाएगा;
- (xvii) मोबाइल स्थानांतरण स्टेशन या फ़िक्स्ड कॉम्पेक्टर स्थानांतरण स्टेशन का डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया जाएगा जिससे प्राथमिक संग्रहण वाहनों से अपशिष्ट को कम समय में तथा बिखेरे बगैर खाली करने में सहायता मिले;
- (xviii) ठोस अपशिष्ट को स्थानांतरित करते समय, मोबाइल स्थानांतरण स्टेशन या फ़िक्स्ड कॉम्पेक्टर स्थानांतरण स्टेशन के आसपास बिखरा हुआ अपशिष्ट साफ किया जाएगा जिससे कि ऐसा कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचे। साफ-सफाई के पश्चात उस स्थान पर कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जाएगा;
- (xix) बोर्ड या इसका प्राधिकृत एजेंट या एजेंसी सभी द्वितीयक भंडारण स्थलों पर क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरे (सीसीटीवी) स्थापित करेगा।

# ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग)

- 10. ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण- (1) बोर्ड ठोस अपिशष्ट प्रसंस्करण स्थलों और समबद्ध अवसंरचनाओं के निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण को युक्तियुक्त प्रौद्योगिकी को अंगीकार करते हुए ठोस अपिशष्ट के विभिन्न घटकों के अनुकूलतम उपयोग हेतु स्वयं या किसी अभिकरण के माध्यम से सुकर बनाएगा, जिसके अंतर्गत निम्न तकनीकें सम्मिलित हैं, जो केन्द्रीय सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करती हैं:-
  - (क) ढुलाई लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने हेतु विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण जैसे बायो-मिथेनीकरण, सूक्ष्मजीव खाद, वर्मी-खाद, अवायवीय पाचन या जैविक अपशिष्ट के जैव-स्थिरीकरण के लिए किसी अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण को वरीयता दी जाएगी;
  - (ख) केंद्रीकृत स्थलों पर मध्यम या बड़े खाद संयंत्र या बायो-मिथेनीकरण संयंत्रों के माध्यम से;
  - (ग) अपशिष्ट के दहनशील अंश के लिए अविशष्ट से प्राप्त ईंधन द्वारा ऊर्जा प्रक्रियाओं के लिए अपिष्ट के माध्यम से या ठोस अपिशष्ट आधारित बिजली संयंत्रों को फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति;
  - (घ) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के माध्यम से: और
  - (ड़) जहां तक संभव होगा, अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन की खपत के लिए एक मार्केट तैयार करने के सभी प्रयास करेगा।
  - (2) प्रत्यक्ष भस्मीकरण द्वारा ऊर्जा संयंत्र में अपशिष्ट प्रदान करने के लिए पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और सुसंगत संविदाओं के निबंधनों एवं शर्तों का हिस्सा होगा।
  - (3) बोर्ड का प्रयास रहेगा कि पुनर्चक्ररण योग्य वस्तुएं जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और वस्त्र अधिकृत रिसाइकलर्स के पास पँहुच पाएं।
- 11. ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु अन्य दिशानिर्देश— (1) बोर्ड सभी निवासी कल्याण संगठनों, ग्रुप हाउसिंग सोसायिटयों, बाजारों, सशस्त्र बलों के भोजनालयों एवं अन्य अभिकरणों, गेटबंद कम्युनिटी और 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों और रेस्त्राओं, बेंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन के माध्यम से जैविक अपशिष्ट के उत्सर्जन होने के स्थान पर ही प्रसंस्करण करने की व्यवस्था करेगा तथा अपशिष्ट उत्सर्जन करने वाले अन्य अपशिष्ट उत्सर्जकों को भी जैविक अपशिष्ट के स्व-स्थाने प्रसंस्करण को वरीयता दी जायगी।

- (2) बोर्ड यह प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, फूल, मांस, कुक्कुट और मछली व्यापार मंडियों द्वारा अपने जैविक अपशिष्ट का प्रसंस्करण करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखी जाएं।
- (3) बोर्ड यह प्रवृत्त करेगा कि बागवानी पार्को और उद्यानों से उत्सर्जित अपशिष्ट का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में किया जाए।
- (4) बोर्ड अपशिष्ट प्रबंधन में समुदायों को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बॉयोगैस उत्पादन सामुदायिक स्तर पर अपशिष्ट के विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करेगा परंतु, ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबधी सुविधा स्थल के आसपास स्वच्छता स्थिति बनाए रखना अनिवार्य होगा।

# ठोस अपशिष्ट का निपटान

- 12. ठोस अपशिष्ट का निपटान- (1) बोर्ड अविशष्ट कचरे और गिलयों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नािलयों से निकलने वाली गाद का निपटान ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में प्रदत्त रीित और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप रीित से स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से सेिनटरी लैंडिफल और संबद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रखरखाव करेगा।
  - (2) उप-पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड अपने उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र में अविशष्ट अपिशष्ट, गिलयों में झाडु लगाने से उत्सर्जित अपिशष्ट, नालियों से निकलने वाली गाद और अन्य स्रोतों से उत्सर्जित अपिशष्ट को लैंडिफल में निपटान के लिए किसी भी अन्य नगर निकाय या नगर निकाय समूहों के साथ करार कर सकता है, ऐसे नगर निकाय तथा नगर निकाय समूह जिन्होंने संबद्ध अवसंरचनात्मक ढांचा का निर्माण, संचालन तथा रखरखाव किया हैं।

# अध्याय 8

# उपयोक्ता फीस और शास्ति

- 13. ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु उपयोक्ता फीस- (1) अपशिष्ट उत्सर्जकों से अपशिष्ट संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा उपयोक्ता फीस निर्धारित की जाएगी। उपयोक्ता फीस की दरें प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हैं।
  - (2) अपशिष्ट उत्पादकों से यथा नियत उपयोक्ता फीस का संग्रह बोर्ड या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकत अभिकरण या किसी प्राधिकत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
  - (3) बोर्ड इन उपविधियों की अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर, उपयोक्ता फीस लगाने के प्रयोजन हेतु अपशिष्ट उत्सर्जकों का डाटाबेस तैयार करेगा और उपयोक्ता फीस की बिलिंग या संग्रहण या वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा और डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।
  - (4) बोर्ड ऑनलाइन भुगतान सिहत उपयोक्ता फीस की वसूली हेतु विभिन्न पद्धतियां अपना सकेगा। ऐसे उपयोक्ता फीस के संग्रहण के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।
  - (5) वार्षिक अथवा छमाही भुगतान की भी प्रणाली अपनाई जाएगी।
  - (6) यदि उपयोक्ता फीस सम्पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो बारह महीने की बजाए दस महीने की राशि ली जाएगी। इसी प्रकार, उपयोक्ता फीस छह महीने का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो फीस की मांग की रकम छह महीने के बजाए साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।
  - (7) उपयोक्ता फीस के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 101, धारा 102 और धारा 324 के उपबंधों के अधीन उसकी वसूली चूककर्ता से कर की बकाया राशि के रूप में कर सकेगा।
- 14. नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति- (1) ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 या इन उपिविधियों के किसी भी उपबंधों के उल्लंघन या अनुपालन करने में विफलता के लिए द्वितीय अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
  - (2) उप-पैरा (1) में यथा उल्लिखित उल्लघंन जारी रखने या गैर-अनुपालन की स्थिति में ऐसी प्रत्येक चूक के लिए प्रतिदिन आधार पर शास्ति लगाई जाएगी जिसे पाँच सौ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

# हितधारकों के दायित्व

## 15. अपशिष्ट उत्सर्जकों के दायित्व -

# (1) कूड़ा फैलाने पर प्रतिबंध:-

- (क) अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़दानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई भी व्यक्ति इन विशेष प्रयोजनों के लिए उपबंध किए गए ऐसे सार्वजनिक सुविधाओं के सिवाय किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने या साफ करने का कार्य नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।
- (ख) अधिकृत निजी या सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी खुली या खाली पड़ी सम्पत्ति पर कूड़ा नहीं डालेगा।
- (ग) किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई भी व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फेंकेगा।
- (घ) कोई व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक की ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत ना किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ या गंदगी डालने या जमा करने से रोका जा सके।
- (इ) कुत्ता, बिल्ली सिहत या ऐसे अन्य किसी पालतू जानवरों के स्वामियों का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि गली या किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवर द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा या साफ करेगा तथा इस तरह उत्सर्जित अपशिष्ट के उचित निपटान हेतु समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।
- (च) कोई व्यक्ति किसी नाली, नदी, खुले तालाब या जल निकायों में कूड़ा नहीं डालेगा।

# (2) अपशिष्ट को जलाना:-

सार्वजनिक स्थानों पर या किसी निजी स्थान पर या सार्वजनिक सम्पत्ति पर ठोस अपशिष्ट के किसी भी प्रकार को जला कर निपटान करना पूर्णतया निषिद्ध है।

# (3) स्वच्छ क्षेत्र:-

- (क) प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि फुटपाथ और खुली नालियां अथवा गटर तथा सड़क किनारे सिहत उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान या आसपास का क्षेत्र किसी भी तरह के ठोस या तरल अपशिष्ट से मुक्त रहकर स्वच्छ रहे।
- (ख) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शन, सर्कस, मेले, राजनीतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जहां यथास्थिति, पुलिस विभाग या बोर्ड से अनुमित अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों या सभा के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।
- (ग) कार्यक्रम आयोजक से बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदाय योग्य स्वच्छता धरोहर राशि कार्यक्रम की अविध के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी।
- (घ) यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात प्रतिदाय की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई है, और कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उत्सर्जित अपशिष्ट एकत्र करके अभिहित स्थलों तक पहंचा दिया गया है।
- (इ) बोर्ड द्वारा संग्रहीत यह धरोहर राशि केवल सार्वजिनक स्थल की स्वच्छता अनुरक्षण के लिए होगी और इसमें सम्पत्ति को पहुंचाई गई किसी प्रकार की क्षिति का हर्जाना शामिल नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता कार्यक्रम के आयोजन के परिणामस्वरूप उत्सर्जित अपशिष्ट की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में बोर्ड की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हों, तो उन्हें बोर्ड के संबंधित विभाग या अनुभाग को आवेदन करना

होगा तथा इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अपेक्षित प्रभारों का भुगतान करना होगा।

- (च) खाली प्लाट पर ठोस अपशिष्ट डालना तथा गैर-अभिहित स्थानों पर निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट डाले जाने की स्थितियों से बोर्ड निम्नलिखित रीति से निपटेगा, अर्थात:-
  - (i) बोर्ड किसी परिसर के स्वामी या अधियोगी को नोटिस भेज सकेगा जिससे ऐसे स्वामी या अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट रीति तथा समय के भीतर साफ़ करना अपेक्षित होगा।
  - (ii) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अधिरोपित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के आदेश या उपरोक्त प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित कर्मचारी के आदेश से समय-समय पर निर्धारित शास्ति का दायी होगा।
  - (iii) उपर्युक्त नोटिस पाने वाला व्यक्ति शास्ति भुगतान के अतिरिक्त यदि नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूर्ण करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति ऐसे परिसर में प्रवेश कर अपिशष्ट को साफ कर सकेगा तथा इस प्रयोजन में अधिभोगी से अपिशष्ट साफ करने पर किए गए व्यय की वसूली कर सकेगा।
- 16. निपटान योग्य उत्पादों और सेनिटरी नेपिकन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या ब्रांड स्वामियों के कर्तव्य- (1) निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं या बोर्ड की अधिकारिता में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रांड स्वामियों को अपिशष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए बोर्ड को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी।
  - (2) बोर्ड इन उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकार और मध्यप्रदेश राज्य सरकार के संबद्ध विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित करेगा।
  - (3) ऐसे सभी ब्रांड स्वामियों को जो गैर जैवअपघटनीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस लिया जा सके।
  - (4) सेनिटरी नेपिकंस और डायपर्स विनिर्माता या ब्रांड स्वामी या विपणन कंपिनयां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादों में सभी पुर्नचक्रण योग्य पदार्थों का प्रयोग किया जाए या वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएं जिनमें ऐसे नेपिकन या डायपर का निपटान किया जा सके।
  - (5) ऐसे सभी विनिर्माताओं, ब्रांड स्वामियों या विपणन कंपनियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए जनता को शिक्षित करें।
  - (6) ईधन प्रयोग करने वाली और ठोस अपशिष्ट आधारित प्लांट के एक सौ किलोमीटर के दायरें में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयां अपनी ईधन की जरूरत का कम से कम पाँच प्रतिशत भाग इस प्रकार उत्पादित रिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल से पूरा करेंगी।
  - 17. बोर्ड के दायित्व- (1) बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू-भाग में सभी समान क्षेत्रों, यथा गिलयों या सड़कों, सार्वजिनिक स्थलों, अस्थायी बस्तियों, स्लम क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों या नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनरों से अपशिष्ट एकत्र करने और उसे प्रतिदिन बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए बोर्ड अपने सफाई कर्मचारीवृंद और वाहनों के अलावा, संविदा के आधार पर निजी पक्षों या अभिकरणों को काम पर लगा सकेगा या सरकारी-निजी भागीदारी व्यवस्था लागू कर सकेगा। अपने स्वयं के सफाई कर्मचारीवृंद तथा वाहनों के अतिरिक्त बोर्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां दिन में दो बार झाडू लगाने की आवश्यकता हो।
    - (2) बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत कोई अभिकरण सार्वजनिक सड़कों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों, यदि आवश्यक हो, की व्यवस्था तथा रखरखाव करेगा।
    - (3) सक्षम प्राधिकारी विकेंद्रीकृत और नियमित रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक कार्मिक या कर्मचारी नाम निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों,

सामुदायिक शौचालयों या सार्वजनिक स्थानों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक अपशिष्ट के लिए बनाए गए स्थानांतरण स्टेशन. लैंडफिल प्रसंस्करण यनिटों आदि स्थलों का पर्यवेक्षण कर सके।

- (4) सक्षम प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट के पृथक्ककरण, संग्रहण, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो सहायक सफाई निरीक्षक के रैंक या समकक्ष से नीचे का अधिकारी नहीं होगा।
- (5) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर बुहारने के हलके में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप स्वयं के कार्मिक या आउटसोर्स द्वारा तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती को युक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उनके कार्य पर निगरानी रखी जाएगी तथा बोर्ड उपयुक्त समझे तो वह अपने क्षेत्राधीन सीमा के किसी भाग में उक्त प्रयोजन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए अनुबंध कर सकेगा।
- (6) पर्यवेक्षण पदधारियों द्वारा प्रत्येक हलके का निरीक्षण समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों अनुसार दैनिक आधार पर किया जाएगा।
- (7) बोर्ड अद्यतन सड़क या गली साफ करने वाली मशीनों, यांत्रिक झाड़ूकशों या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिससे झाडू लगाने तथा नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।
- (8) बोर्ड सूचना, शिक्षा और संप्रेषण अभियान के माध्यम से जागरूकता तथा संवेदनशीलता पैदा करेगा और अपिशष्ट उत्सर्जकों एवं अन्य हितधारकों को ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और इन उपविधियों के विभिन्न उपबंधों के बारे में शिक्षित करेगा जिसमें उपयोक्ता फीस और शास्ति संबंधी उपबंधों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।
- (9) बोर्ड अपशिष्ट उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले अपशिष्ट को स्रोत पर ही निपटाए और वह विकेंद्रीकृत तकनीकों जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार करेगा।
- (10) इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कार, प्रमाण-पत्र एवं सम्मान प्रदान करना, उनके नाम संबद्ध वेबसाइटों पर प्रकाशित करना या सम्पत्ति कर में छूट प्रदान करना, आदि शामिल होंगे।
- (11) बोर्ड स्वयं द्वारा रखरखाव किए जा रहे सभी पार्को, उद्यानों और जहां कहीं संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर कम्पोस्ट का उपयोग करेगा।
- (12) अनौपचारिक अपशिष्ट पुर्नचक्रण सेक्टर द्वारा किए जाने वाले पुर्नचक्रण उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे।
- (13) बोर्ड ठोस अपिशष्ट प्रबंधन प्रणालियों को सुचारू और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा िक अपिशष्ट प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कूड़ा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, तािक उनकी कार्यस्थिति को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस अपिशष्ट प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।
- (14) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन सभी श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रैनकोट, समुचित फुटवियर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस अपशिष्ट परिचालन का कार्य करते हैं और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाए।
- (15) बोर्ड कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं के और बाहरी अभिकरण के कर्मचारीवृंद की व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त तथा समुचित उपकरण प्रदान करेगा।
- (16) किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या उपचार या निपटान केंद्र या लैंडफिल स्थल पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश, यदि कोई हो, जारी करेगा।
- (17) मुख्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और इन उपविधियों के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन का पर्यवेक्षण करेगा।

- (18) बोर्ड अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना द्वारा जन शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करेगा।
- (19) इस जन शिकायत निवारण प्रणाली में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल एप्लिकेशन या वेब आधारित सेवाएं शामिल हों सकेंगी।
- (20) बोर्ड ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और इन उपिविधियों के कार्यान्वयन से संबद्ध कर्मचारियों की उपिस्थित दर्ज करने और उस पर मॉनिटिरेंग हेतु अपने मुख्यालय, सभी जोनल कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में बॉयो-मेट्रिक या स्मार्ट कार्ड तकनीकों या सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी प्रणाली स्थापित करेगा तथा ऐसी प्रणाली को यथास्थिति मजदूरी या पारिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।
- (21) अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड अपनी वेबसाइट के माध्यम से सभी आवश्यक सुचनाएं उपलब्ध कराएगा।
- (22) बोर्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन उपबंधित सभी अन्य कार्य करेगा तथा सभी अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इन उपविधियों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किए गए हैं।

## प्रकीर्ण

18. प्रकीर्ण:- बोर्ड अन्य सरकारी अभिकरणों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा, जिससे ऐसे निकायों की अधिकारिता या नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में इन उपविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

# प्रथम अनुसूची [ पैरा 4(10), 13(1) देखें ]

# ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोक्ता फीस

| क्र.सं. | प्रवर्ग   | प्रत्येक परिसर/गृह /आवासीय इकाई/फ्लैट<br>से प्रतिमाह वसूल की जाने वाली उपयोक्ता<br>फीस (रूपए में) |
|---------|---|---|
| (1)     | (2)   | (3)   |
| 1.      | आवासीय गृह इकाई:  |   |
|         | (i) 50 वर्ग मीटर तक   | 50  |
|         | (ii) 50 वर्ग मीटर से अधिक 200 वर्ग मीटर तक  | 100   |
|         | (iii) 200 वर्ग मीटर से अधिक   | 200   |
| 2.      | फेरीवाला  | 100   |
| 3.      | वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, खाद्य स्थल (ढाबा/ मिठाई की दुकानें/कॉफी हाउस, इत्यादि) | 500   |
| 4.      | अतिथि गृह / धर्मशाला  | 2,000   |
| 5.      | छात्रावास   | 2,000   |
| 6.      | 50 व्यक्तियों तक के बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां                                     | 2,000   |
| 7.      | 50 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां                                | 3,000   |
| 8.      | होटल (बगैर सितारा)  | 2,000   |
| 9.      | होटल (3 सितारा तक)  | 3,000   |

| 10. | होटल (3 सितारा से ऊपर)   | 5,000  |
|-----|--|--|
| 11. | वाणिज्यिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय,<br>कोचिंग कक्षाएँ, शैक्षिक संस्थान, इत्यादि        | 2,000  |
| 12. | क्लिनिक, डिस्पेंसरी, लैबोरेट्री (50 बिस्तरों तक)) केवल गैर-बायो<br>मेडिकल अपशिष्ट                            | 2,000  |
| 13. | क्लिनिक, डिस्पेंसरी, लैबोरेट्री (50 बिस्तरों से अधिक)) केवल गैर-<br>बायो मेडिकल अपशिष्ट                      | 4,000  |
| 14. | लघु और कुटीर उद्योग, कार्यशालाएं (केवल गैर-खतरनाक<br>अपशिष्ट)  | 3,000  |
| 15. | गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर-खतरनाक अपशिष्ट)   | 5,000  |
| 16. | विवाह/पार्टी हॉल, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी और मेला   | 5,000  |
| 17. | क्लब, सिनेमा हॉल, पब (मयखाना), मल्टीप्लेक्स और ऐसे अन्य<br>स्थल  | 4,000  |
| 18. | किसी अन्य प्रवर्ग में शामिल नहीं किया गया कोई अन्य गैर-<br>वाणिज्यिक, वाणिज्यिक, धार्मिक या धर्मार्थ संस्थान | 2,000  |
| 19. | उपर्युक्त में उपबंधित नहीं किए गए अन्य स्थान/गतिविधि   | साधारण या विशेष आदेश द्वारा मुख्य<br>अधिशासी अधिकारी के निर्णयानुसार |

टिप्पण:- यदि उपयोक्ता फीस या प्रभार का भुगतान मांग की तारीख से तीस दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो उपयोक्ता फीस अथवा प्रभार पर दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विलंब से भुगतान प्रभार वसूला जाएगा।

# द्वितीय अनुसूची [ पैरा 14(1) देखें ] शास्तियां

| क्र.सं. | नियम/उपविधि<br>संख्या                       | विफलता/उल्लंघन                                      | निपटान  | व्यतिक्रम के लिए<br>शास्ति<br>(रुपए में) |
|---------|---|---|---|--|
| (1)     | (2)   | (3)   | (4)   | (5)                                      |
| 1.      | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का        | नियमों और उपविधियों के<br>अनुसार अपशिष्ट पृथक्करण   | आवासीय  | 200                                      |
|         | नियम 4(1)(क) पैरा<br>4(1)(क) के साथ<br>पठित | एवं भंडारण और पृथक्कृत<br>अपशिष्ट सौंपने में विफलता | विवाह / पार्टी हॉल, उत्सव<br>हॉल, पार्टी लॉन                | 5,000                                    |
|         | भाठत  |   | 5000 वर्ग मीटर से कम<br>क्षेत्रफल वाली प्रदर्शनी और<br>मेले | 5,000                                    |

| क्र.सं. | नियम/उपविधि<br>संख्या  | विफलता/उल्लंघन  | निपटान  | व्यतिक्रम के लिए<br>शास्ति<br>(रुपए में) |
|---------|--|---|---|--|
| (1)     | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                                      |
|         |  |   | 5000 वर्ग मीटर से कम<br>क्षेत्रफल वाले क्लब, सिनेमा<br>हॉल, पब (मयखाना),<br>सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्स<br>और ऐसे अन्य स्थल   | 5,000                                    |
|         |  |   | 5000 वर्ग मीटर से कम<br>क्षेत्रफल की अन्य गैर-आवासीय<br>इकाइयां   | 500                                      |
| 2.      | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का<br>नियम 4(1)(ख) और<br>(घ) पैरा 4(11)<br>और 4(13) के साथ<br>पठित | (i) नियमों और उपविधियों<br>के अनुसार सैनेटरी अपशिष्ट<br>के निपटान में विफलता<br>(ii) नियमों और उपविधियों<br>अनुसार बागवानी एवं<br>उद्यान अपशिष्ट के निपटान                    | आवासीय  | 200                                      |
|         |  | उद्यान अपाशष्ट के निपटान<br>में विफलता  | गैर-आवासीय  | 500                                      |
| 3.      | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का<br>नियम 4(1)(ग) पैरा  | नियमों और उपविधियों के<br>अनुसार निर्माण और विध्वंस<br>अपशिष्ट के निपटान में  | आवासीय  | 200                                      |
|         | 4(15) के साथ पठित  | विफलता  | गैर-आवासीय  | 500                                      |
| 4.      | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का<br>नियम 4(2) पैरा<br>15(II) के साथ पठित                         | खुले में ठोस अपशिष्ट जलाना  | उल्लंघनकर्ता  | 5,000                                    |
| 5.      | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का<br>नियम 4(4) पैरा<br>4(10) के साथ पठित                          | नियमों और उपविधियों में<br>विहित प्रक्रिया का अनुपालन<br>नहीं करते हुए गैर-लाइसेंसी<br>स्थल पर सौ से अधिक की<br>संख्या में एकत्रित व्यक्तियों के<br>समारोह या सभा का<br>आयोजन | ऐसा व्यक्ति, जिसने ऐसे समारोह या सभा का आयोजन किया है या जिसकी ओर से ऐसा समारोह या सभा आयोजित की गई है और कार्यक्रम प्रबंधक(कों), यदि कोई हो, जिन्होंने इस प्रकार के समारोह या सभा का आयोजन किया है | 5,000                                    |
| 6.      | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का<br>नियम 4(5) पैरा   | नियमों और उपविधियों के<br>अनुसार फेरीवाले द्वारा<br>अपशिष्ट के निपटान में   | उल्लंघनकर्ता  | 200                                      |

| क्र.सं. | नियम/उपविधि<br>संख्या  | विफलता/उल्लंघन   | निपटान  | व्यतिक्रम के लिए<br>शास्ति<br>(रुपए में) |
|---------|--|--|---|--|
| (1)     | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                                      |
|         | 4(12) के साथ पठित  | विफलता   |   |  |
| 7.      | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का   | कूड़ा फैलाना   | अपराधी  | 500                                      |
|         | नियम 15(छ)<br>पैरा15(झ) के साथ<br>पठित                                       |  |   |  |
| 8.      | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का<br>नियम 4(6) पैरा                       | नियमों और उपविधियों के<br>अनुसार अपशिष्ट के निपटान<br>में विफलता   | रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन                                      | 5,000                                    |
|         | 4(4) के साथ पठित   |  | मार्केट एसोसिएशन  | 5,000                                    |
| 9.      | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का<br>नियम 4(7) पैरा                       | नियमों और उपविधियों के<br>अनुसार अपशिष्ट के निपटान<br>में विफलता   | गेटबंद कम्युनिटी  | 5,000                                    |
|         | 4(6) के साथ पठित   |  | संस्थान   | 5,000                                    |
| 10.     | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का<br>नियम 4(8) पैरा                       | नियमों और उपविधियों के<br>अनुसार अपशिष्ट के निपटान<br>में विफलता   | होटल  | 5,000                                    |
|         | 4(8) के साथ पठित   |  | रेस्तरां  | 5,000                                    |
| 11.     | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का<br>नियम 17(2) पैरा<br>16(3) के साथ पठित | डिस्पोजेबल उत्पादों के<br>उत्पादन के कारण उत्पन्न<br>पैकेजिंग अपशिष्ट को एकत्र<br>करने की प्रणाली बगैर<br>उनकी बिक्री या विपणन | विनिर्माण और / या ब्रांड के<br>स्वामी                           | 5,000                                    |
| 12.     | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का<br>नियम 17(3) पैरा<br>16(4) के साथ पठित | नियमों और उपविधियों के<br>अनुसार कदम उठाने में<br>विफलता   | विनिर्माण और / या ब्रांड के<br>स्वामी और / या विपणन<br>कंपनियां | 5,000                                    |
| 13.     | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन<br>नियम, 2016 का<br>नियम 18 पैरा<br>16(6) के साथ पठित    | अवशिष्ट जनित ईंधन से<br>ईंधन की जरूरत को<br>प्रतिस्थापित करने में<br>विफलता  | औद्योगिक इकाई   | 5,000                                    |

[फा. सं. सीबीएम/एसडब्ल्यूएम/बायलॉज] विकास कुमार, आईडीईएस, मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद, महू छावनी

# MINISTRY OF DEFENCE

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 24th July, 2024

**S.R.O. 56(E).**—Whereas, in exercise of the powers conferred by sections 3,6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter referred to as the said Act), the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in the Government of India *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016, notified the Solid Waste Management Rules, 2016;

And, whereas, the said Solid Waste Management Rules, 2016, *inter alia*, shall be applicable to every urban local body, outgrowths in urban agglomerations, census towns as declared by the Registrar General and Census Commissioner of India, notified areas, notified industrial townships, areas under the control of Indian Railways, airports, airbases, Ports and harbours, defence establishments, special economic zones, State and Central Government organisations, places of pilgrims, religious and historical importance as may be notified by respective State Government from time to time and to every domestic, institutional, commercial and any other non-residential solid waste generator situated in the areas except industrial waste, hazardous waste, hazardous chemicals, bio medical wastes, e-waste, lead acid batteries and radio-active waste, that are covered under separate rules framed under the said Act;

And, whereas, clause (e) of rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016, duty bounds the local authorities to frame bye-laws within one year from the date of notification of the said rules;

Now, therefore, the following draft bye-laws, which the Mhow Cantonment Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 348 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) read with rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016, is hereby published, as required by sub-section (1) of section 350 of the Cantonments Act, 2006, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft bye -laws shall be taken into consideration by the Central Government after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published, are made available to the public;

The objections or suggestions, if any, to these draft bye-laws may be addressed to the Chief Executive Officer, Mhow Cantonment Board;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws, before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

## Mhow Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024

#### **CHAPTER I**

#### **GENERAL**

- **Short title and commencement.**—(1) These bye-laws may be called the Mhow Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Applicability.**—These bye-laws shall be applicable within the territorial limits of the Mhow Cantonment.
- 3. **Definitions.**—(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);
  - (b) "Board" means the Mhow Cantonment Board;
  - (c) "bulk garden and horticultural waste" means bulk waste from parks and gardens including grass clippings, weeds, woody brown carbon-rich material such as pruning, branches, twigs, wood chipping, straw, dead leaves, tree trimmings and such other waste, which cannot be accommodated in the daily collection system for bio-degradable waste;
  - (d) "bulk waste generator" shall have the same meaning as assigned to it in clause 8 of subrule (1) of rule 3 of the Solid Waste Management Rules, 2016 and any other waste generator notified by the Chief Executive Officer from time to time;
  - **(e)** "collection" means lifting and removal of solid waste from source of waste generation, collection points or any other location;

- **(f) "competent authority"** means the Chief Executive Officer of the Board or any other person authorised by him;
- (g) "construction and demolition waste" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of sub-rule (1) of rule 3 of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016;
- **(h)** "clean area" means the public place in front of and all around or adjacent to any premises extending to the kerbside and including the drain, foot path and kerb cleaned and so maintained in accordance with these bye-laws;
- (i) "community waste storage bin" means any storage facility set up and maintained by the Board or collectively by owners or occupiers, as the case may be, of one or more premises for storage of solid waste in a segregated manner on the roadside or in the premises of any one of such owners or occupiers or in their common premises as authorised by the competent authority (hereafter referred to as the dhalao);
- (j) "containerised hand cart" means the hand cart provided by the Board or the agency or the agent appointed by it for point-to-point collection of solid waste;
- (k) "delivery" means handing over any category of solid waste to worker of the Board or any other person appointed, authorised or licensed by the Board for taking delivery of such waste or depositing the same in any vehicle provided by it or by any other authorised agency or licensed by the Board to do so;
- (1) "e-waste" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of sub-rule (1) of rule 3 of the E-Waste (Management) Rules, 2016;
- (m) "fixed compactor transfer station" means a powered machine which is designed to compact segregated solid waste and remains stationary when in operation and the compactor may also be mobile when in operation, which may be called mobile transfer station;
- (n) "litter" means all refuse and includes any other waste material which, if thrown or deposited as prohibited under these bye-laws, tends to create nuisance or danger to any person, animal, environment or public health, safety and welfare;
- (o) "littering" means causing, putting, burying, permitting or allowing litter in such a location that it falls, descends, blows, is washed, percolates or otherwise escapes or is likely to fall, descend, blow, be washed, percolate or otherwise escape into or onto any open or public place;
- (p) "owner" means any person who exercises the rights of an owner of any building, or land, or part thereof;
- (q) "occupier or occupant" means any person who is in occupation of or in possession and includes any person who for the time being is using, any land or building or part thereof, for any purpose whatsoever;
- (r) "pelletisation" means a process whereby pellets are prepared which are small cubes or cylindrical pieces made out of solid waste and includes fuel pellets which are also referred as refuse derived fuel;
- (s) "public place" means any place which is open to the use and enjoyment of the public, whether it is actually used or enjoyed by the public or not;
- (t) "storage" means the temporary containment of solid waste in a manner so as to prevent littering, attraction to vectors, stray animals and excessive foul odor;
- (u) "sanitary worker" means a person employed by the Board or the agency authorised by it for collecting or removing solid waste or cleansing the drains in the Mhow Cantonment areas;
- (v) "Schedule" means the Schedule annexed to these bye-laws;
- (w) "user fee or charges" means fees or charges imposed by the Board, through general or special order of the competent authority from time-to-time, on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services; and
- (x) "vacant plot" means any land or open space, belonging to or under the management of any person or private agency or Government agency or Government department or public undertaking, which is not occupied.

(2) The words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Cantonments Act, 2006, the Solid Waste Management Rules, 2016, and the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

# **CHAPTER II**

#### SEGREGATION AND PRIMARY STORAGE OF SOLID WASTE

- **Segregation and storage of solid waste at source.** (1) It shall be the duty of all waste generators to separate and store the solid waste coming out of their respective places regularly into three streams, namely:—
  - (a) non-biodegradable or dry waste;
  - (b) biodegradable or wet waste;
  - (c) domestic hazardous waste and deposit it into covered waste bins, and handover segregated waste to designated waste collectors as directed by the Board from time to time.
  - (2) Every bulk waste generator is to separate and store the solid waste coming out of their own places into three streams, namely:—
    - (a) non-biodegradable or dry waste;
    - (b) biodegradable or wet waste;
    - (c) hazardous waste in suitable bins and handover segregated waste to authorised waste processing or disposal facilities or deposition centres through the authorised waste collection agency by paying the carrying charges specified by the Board from time to time.
  - (3) The colour of bins for storage of segregated waste shall be green for biodegradable waste, blue for non-biodegradable or dry waste and black for domestic hazardous waste.
  - (4) All resident welfare and market associations shall, in partnership with the Board, ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers.
  - (5) The biodegradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or biomethanation within the premises as far as possible and the residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the Board.
  - (6) All gated communities and institutions with more than 5,000 square meters area shall, in partnership with the Board, ensure segregation of waste at source by the generators; facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers.
  - (7) The biodegradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or biomethanation within the premises as far as possible and the residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the Board.
  - (8) All hotels and restaurants shall, in partnership with the Board, ensure segregation of waste at source, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers.
  - (9) The biodegradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or biomethanation within the premises as far as possible and the residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the Board.
  - (10) No person shall organise an event or gathering of more than one hundred person at any unlicensed place without intimating the Board, either by physically or through online, along with payment of user fee as specified in the First Schedule, at least three working days in advance and such person or the organiser of such event shall ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as directed by the Board.
  - (11) Used sanitary waste are to be securely wrapped as and when generated in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a newspaper or suitable biodegradable wrapping material and place the same in the bin meant for non-biodegradable waste or dry waste.
  - (12) Every street vendor shall keep suitable containers for storage of segregated waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover

food, vegetables or fruits, and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the Board.

- (13) Waste generator of garden and horticulture waste generated from his premises shall store such waste separately in his own premises and dispose of the same as per the directions of the Board from time to time.
- (14) Domestic hazardous waste shall be stored and delivered by every waste generator to the collection vehicle which shall be provided periodically by the Board or any other agency authorised by it or the Government of Madhya Pradesh or the Madhya Pradesh Pollution Control Board for collection of such waste, or to a centre designed for collection of such waste for disposal in such manner as may be directed by the Government of Madhya Pradesh or the Madhya Pradesh Pollution Control Board.
- (15) Construction and demolition waste shall be stored and delivered separately as provided under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
- (16) No untreated bio-medical waste, e-waste, hazardous chemicals and industrial waste shall be mixed with solid waste and such waste shall be disposed of in accordance with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules or regulations made thereunder.
- (17) Every owner or occupier of any premises other than designated slaughter houses and markets, who generates poultry, fish and slaughter waste as a result of any commercial activity, shall store the same separately in closed, hygienic condition and deliver it at a specified time, on a daily basis to the collection vehicle provided by the Board for this purpose:

Provided that there shall not be any depositing of such waste in any community waste bin and such deposition is strictly prohibited.

(18) Segregated bio-degradable solid waste if not composted by the generators, shall be stored by them within their premises and its delivery shall be ensured to the worker of the Board or vehicle; or waste picker or waste collector or to the waste collection vehicle provided for specified commercial generators of bulk biodegradable waste at such times as may be notified by the Board from time to time.

#### CHAPTER III

#### SOLID WASTE COLLECTION

- **5.** Collection of solid waste.— (1) In compliance with the Solid Waste Management Rules, 2016, door to door collection of segregated solid waste shall be implemented in all areas or wards of the Board, to collect garbage from every house, including slums and informal settlements on a daily basis by integrating the informal door to door collection system with Boards collection system.
  - (2) In order to collect garbage from every house, area-wise specific time slot shall be set and published at conspicuous parts of that area and on the website of the Board.
  - (3) The time for house to house garbage collection shall be set from 6 am to 11 am.
  - (4) For collection of garbage from trading establishments, shops in commercial areas or any other institutional waste generators, commonly the time shall be from 7 am to 12 noon.
  - (5) The household, institution and commercial entities shall hand over the garbage to waste collector.
  - (6) Arrangements shall be made for collection of residual solid waste from bulk waste generators, which are processing waste *in-situ*.
  - (7) Residual solid waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market shall be collected on day to day basis.
  - (8) Horticulture and garden waste shall be separately collected and disposed of once or twice in a week.
  - (9) To make optimum use of biodegradable waste from fruits and vegetable markets, meat and fish markets, bulk horticulture and garden waste and to minimise the cost of collection and transportation, such waste shall be processed or treated within the area where waste is generated.
  - (10) Manual handling of waste in the containers shall be prohibited and; if it is unavoidable due to unexpected constraints, manual handling shall be carried out under proper protection with due care for safety of workers.
  - (11) Waste generators shall be responsible to deposit their segregated waste in the auto-tippers or rickshaws deployed by the Board or by the notified authorised waste collector.
  - (12) Segregated waste from multi-storied buildings, apartments, housing complexes may be collected from the entry gate or any other designated location as directed by the competent authority.

- (13) Changing needs and advances in technology shall be taken into consideration for selection of collection equipment and vehicles from time to time.
- (14) Auto-tippers or vehicles of specific capacity with-hydraulically operated hopper covering mechanism from top having two compartments for carrying biodegradable and non-biodegradable waste separately with a hooter shall be deployed for collection of waste.
- (15) Automatic voice recorded device, bell or horn or other suitable device having sound not more than the permissible noise level shall be installed on every garbage collection vehicle used by the waste collectors.
- (16) Route plans for each primary collection and transportation vehicle shall be provided by the Board or by the notified authorised waste collector.
- (17) These route plans in tabular as well as geographical information system map form, duly approved by the Board shall mention starting point, starting time, waiting points, waiting time on route, end point and end time of the specified route.
- (18) The Board or the notified authorised waste collector shall provide a display board at each street to display the time-table of primary collection and transportation vehicles to allow residents avail the facility at specified time and such information shall also be uploaded on the website of the Board.
- (19) In narrow streets where it is not possible to provide service by auto tipper or the vehicle, a three-wheeler or smaller motorised vehicle with hydraulically operated hopper covering mechanism from top having two compartments for carrying wet and dry waste separately with a hooter, compatible with mobile transfer station shall be deployed.
- (20) In congested and narrower streets where it is not possible to provide service by a three-wheeler or any suitable smaller vehicle, cycle rickshaws or any other type of suitable equipment shall be deployed.
- (21) Smaller, narrow or congested streets or lanes where even a three-wheeler or rickshaw or any other type of suitable vehicles may not be in a position to deploy, vantage points shall be designated at the start of the locality or street, where the collection vehicle shall be parked and the helper or driver of the vehicle shall carry a whistle and walk in the locality to announce arrival of the vehicle for collecting solid waste.
- (22) Time table for such collection system shall be displayed at the display board and uploaded on the website of the Board.
- (23) Every household shall be responsible to ensure to handover segregated waste to the collector at the designated place.
- (24) Auto tippers, three-wheelers, rickshaws and any other type of collection vehicles engaged in the service shall collect waste only from households and not from any other source, such as, dhalaos, open sites, ground, bins or drains.
- (25) The Board or its notified authorised waste collectors shall be responsible to cover all the streets or lanes of each zone for the primary collection of solid waste.

## **CHAPTER IV**

## SECONDARY STORAGE OF SOLID WASTE

- **6. Storage of solid waste in the secondary storage points.**—(1) Segregated solid waste collected from doorsteps shall be taken to waste storage depots, community storage bins or fixed mobile transfer stations or the locations specified by the Board for secondary storage of waste.
  - (2) The secondary storage points shall have covered containers, of specified colour, for separate storage of the following, namely:—
    - (a) non-biodegradable or dry waste;
    - (b) biodegradable or wet waste;
    - (c) domestic hazardous waste.
  - (3) Different coloured containers shall be used in the areas demarcated by the Board to keep segregated waste in the following manner, namely:—
    - (a) green for biodegradable waste;
    - (b) blue for non-biodegradable waste;
    - (c) black for domestic hazardous waste.

- (4) The Board shall, from time to time, notify mandatory colour coding and other specifications of containers as provided in the Solid Waste Management Rules, 2016 for storage and delivery of different types of solid waste to enable safe and easy collection without any mixing or spillage of waste, which generators of different types of solid waste shall adhere to.
- (5) The Board on its own or through outsourcing agencies shall maintain the storage facilities for solid waste in a manner that does not create unhygienic and unsanitary conditions around it.
- (6) Containers of various sizes in the secondary storage depots shall be provided by the Board or any agency authorised by it in different colours as specified in these bye-laws.
- (7) Storage facilities shall be created and established by taking into account quantities of waste generation in a given area and the density of population and such storage facilities shall be user friendly and shall be so designed to ensure compaction of waste and not exposed to open atmosphere.
- (8) All the housing co-operative societies, associations, colonies, residential and commercial establishments or gated communities shall have the responsibility to put colored bins as specified in these bye-laws and to keep adequate number of containers in clean and good condition in appropriate places in their own complexes at their own cost, so that the daily waste generated there can be properly deposited.
- (9) The Board or the agency authorised by it shall carry out washing and disinfection of all the bins on a regular basis.
- **7. Recycling centres for dry waste** (**Non-biodegradable waste**).— (1) The Board shall convert its existing dhalaos or identify specific locations as per requirement, as 'recycling centres' which shall be used for segregation of dry waste received through street or door to door waste collection service.
- (2) Recycling centres may be increased depending on the quantity of dry waste received.
- (3) Dry (non-biodegradable) waste collected through street or door- to-door collection system and from commercial establishments shall be transferred to the designated recycling centres and such designated centres shall receive only dry waste.
- (4) The households may also directly deposit or sell their recyclable dry waste to the authorised agents or authorised waste dealers, as the case may be, of the Board at these recycling centres at pre-notified rates.
- (5) The dealers shall maintain weighing scale and a counter at a permitted place at each recycling unit for this purpose.
- (6) The authorised agents or, as the case may be, the authorised waste dealers shall be allowed to dispose of or sell the recyclable waste to the secondary market or recycling units only in consonance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016.
- (7) The authorised agents or authorised waste dealers shall be entitled to retain sales realisation thereof.
- **8. Deposition centre for specified domestic hazardous waste.** (1) For the collection of domestic hazardous waste, a deposition centre shall be set up at a suitable location for receiving the specified domestic hazardous waste and such facility shall be set-up in each ward in such manner as may be decided by the Government and notify the timing of receiving of such waste.
- (2) The Board may also give the responsibility to authorised agent or concessionaire to collect domestic hazardous waste from all waste generators in segregated manner and such waste shall be transported separately to the hazardous waste disposal facility set up by the Government.

## CHAPTER V

#### TRANSPORTATION OF SOLID WASTE

- **9. Transportation of solid waste.** The transportation of solid waste shall be done in the following manner, namely:—
  - (i) vehicles used for transportation of waste shall be covered in such manner that the collected waste is not exposed to open environment and the vehicles may also include compactors and mobile transfer stations depending upon choice of technology by the Board;
  - (ii) the storage facilities set up by the Board shall be attended daily for clearing waste and the areas surrounding the place where the bins or containers are kept shall also be cleaned;

- (iii) the collected and segregated bio-degradable waste from residential and other areas shall be transferred to the processing plants like compost plants, bio- methanation plants or any such other facilities in a covered manner;
- (iv) wherever applicable, for biodegradable waste, preference shall be given for on-site processing of such waste;
- (v) collected non-bio-degradable waste shall be transported to the respective processing facilities or secondary storage facilities;
- (vi) construction and demolition waste shall be transported as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016;
- (vii) the Board shall make arrangements for transportation of inserts in a proper manner. The street sweeping waste and removable drain silt shall be removed immediately after the work is over;
- (viii) transportation vehicles shall be so designed that multiple handling of waste, prior to final disposal, is avoided;
- (ix) the collection vehicles engaged for transportation purpose shall deposit or transfer the waste only at the mobile transfer station or fixed compactor transfer station wherever provided;
- (x) in case mobile transfer station or fixed compactor transfer station are not stationed at the designated location at that point of time for any reason, then the loaded vehicle shall go to the next designated location of the mobile transfer station or fixed compactor transfer station or the site specified by the Board to unload the waste:
- (xi) fixed compactor transfer station shall be transported through hook loader;
- (xii) the mobile transfer station or fixed compactor transfer station shall transport the waste directly to compost plant, waste to energy plant or any other site or plant as may be designated by the Board;
- (xiii) there shall not be any inter-mixing of waste from various sources during the transportation of waste;
- (xiv) the services of street level collection and transportation of waste shall be provided every day;
- (xv) the mobile transfer station engaged in this service shall receive waste only from designated auto tippers, three-wheelers or vehicles or bins collecting waste from street level operations;
- (xvi) the dedicated mobile transfer station shall be deployed at specified locations to receive waste from the auto-tippers, three-wheelers or rickshaws engaged in street-level and door-to-door collection of solid waste from households and commercial establishments as per the approved route plans;
- (xvii) the design of mobile transfer station or fixed compactor transfer station shall allow unloading of waste from primary collection vehicles by consuming minimum time and without littering waste;
- (xviii) the garbage spilled near mobile transfer station or fixed compactor transfer station, while transferring the solid waste, shall be cleaned so that no spillage is left. Disinfectant shall be used after cleaning process at that location;
- (xix) the Board or its authorised agent or agency shall install closed circuit television cameras at all secondary storage facilities.

#### **CHAPTER VI**

#### PROCESSING OF SOLID WASTE

- 10. Processing of solid waste.— (1) The Board shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on its own or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology including the following technologies and adhering to the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board, namely:—
  - (a) to minimise transportation cost and environmental impacts, preference shall be given to decentralised processing such as bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilisation of biodegradable waste;
  - (b) through medium or large composting or bio-methanation plants at centralised locations;
  - (c) through waste to energy processes by refuse derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste-based power plants;

- (d) through construction and demolition waste management plants; and
- (e) to make all endeavours to create a market for consumption of refuse derived fuel to the extent it is possible.
- (2) In waste to energy plant by direct incineration, absolute segregation shall be mandatory and be part of the terms and conditions of the relevant contracts.
  - (3) The Board shall endeavour that recyclables such as paper, plastic, metal, glass, or textile material go to authorised recyclers.
- 11. Other guidelines for processing of solid waste.— (1) The Board shall enforce processing of bio-degradable waste on site of generation of such waste through composting or bio-methanation, as far as possible, at resident welfare associations, group housing societies, markets, messes of armed forces and other agencies, gated communities and institutions with more than 5000 square metres. areas, all hotels and restaurants, banquet halls and places of such nature and preference shall be given for on-site processing of biodegradable waste generated by other waste generators as well.
  - (2) The Board shall enforce that markets dealing with vegetables, fruits, flowers, meat, poultry and fish waste while processing bio-degradable waste ensure hygienic conditions.
  - (3) The Board shall enforce processing of horticulture, parks and garden waste separately in the parks and gardens as far as possible.
  - (4) The Board shall take all steps to involve communities in waste management and promote home composting, bio-gas generation, decentralised processing of waste at community level, subject to control of odor and maintenance of hygienic conditions around the facility.

#### **CHAPTER VII**

#### DISPOSAL OF SOLID WASTE

- **Disposal of Solid waste.** (1) The Board shall undertake on its own or through any other agency, the construction, operation and maintenance of sanitary landfill and associated infrastructure for disposal of residual waste and inert street sweepings and silt from surface drains in such manner as may be provided in the Solid Waste Management Rules, 2016, and any other obligation imposed by any other law for the time being in force.
  - (2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Board may enter into agreement with any other municipal body or group of municipal bodies so as to get the residual waste, inert street sweeping waste, silt from surface drains and others generated within the area of responsibility of the Board are disposed in landfill and associated infrastructure constructed, operated and maintained by such municipal body or group of municipal bodies.

#### **CHAPTER VIII**

# **USER FEE AND PENALTY**

- 13. User fee for collection, transportation and disposal of solid waste.— (1) There shall be a user fee fixed for providing services for garbage collection, transportation and disposal from waste generators by the Board. The rates of user fee are as specified in the First Schedule.
  - (2) The Board shall collect the user fee so fixed from waste generators or the authorised agency or any person authorised by the competent authority by a general or special order in this behalf.
  - (3) The Board shall prepare the database of all the waste generators for the purpose of levying user fee, and evolve appropriate mechanism for billing or collection or recovery of such user charges, within six months from the date of notification of these bye-laws and the database shall be updated regularly.
  - (4) The Board may adopt different methods for collection of user fee including online payment, on particular days in a month, preferably in first week of each month, shall be fixed for collection of such user fee.
  - (5) There shall also be a system of yearly or half yearly payment.
  - (6) In case the user fee is paid in advance for the entire year, then amount for ten months shall be charged instead of twelve months. Similarly, for six months advance payment, five and half months demand amount shall be charged instead of six months.
  - (7) In case of default of payment of user fee, the competent authority may recover the same from the defaulter as an arrears of tax under sections 101,102 and 324 of the Act.

- **14. Penalty for contravention.** (1) Whosoever contravenes or fails to comply with any of the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 or these bye-laws shall be imposed with penalty as specified in the Second Schedule.
  - (2) In case of contravention continues or non-compliance as mentioned in sub-paragraph (1) for every such default, penalty which may extend to five hundred rupees shall be imposed on per day basis.

#### CHAPTER IX

#### RESPONSIBILITIES OF STAKEHOLDERS

#### 15. Responsibilities of waste generators. —

#### (1) Prohibition of littering:—

- (a) no person shall litter in any public place except in authorised public or private litter receptacles. No person shall repair vehicles, wash or clean utensils or any other object or keep any type of storage in any public place, open or vacant space, except in such public facilities or conveniences specifically provided for any of these purposes.
- (b) no person shall litter on any open or vacant property except in authorised private or public receptacles.
- (c) no person, whether a driver or passenger in a vehicle, shall litter upon any street, road, sidewalk, playground, garden, traffic island or other public place.
- (d) no person shall drive or move any truck or other goods vehicle unless such vehicle is so constructed and loaded as to prevent any load, contents or litter from being blown off or deposited upon any road, sidewalks, traffic island, playground, garden or other public place.
- (e) it shall be the responsibility of the owner of any pet animal including dog, cat or such other animal to promptly scoop or clean up any litter created by such pet on the street or any public place and take adequate steps for the proper disposal of such waste preferably by their own sewage system.
  - (f) no person shall litter in any drain, river, open pond or in water bodies.

#### (2) Burning of waste:—

Disposal by burning of any type of solid waste at public places or at any private or public property is strictly prohibited.

#### (3) Clean Area:—

- (a) every person shall endeavour that any public place in front of or adjacent to any premises owned or occupied by him including the footpath and open drain or gutter and kerb is free of any waste, either in solid or liquid form;
- (b) for public gatherings and events organised in public places for any reason (including for processions, exhibitions, circuses, fairs, political rallies, commercial, religious, socio-cultural events, protests and demonstrations, etc.,) where permission from the police department or from the Board, as the case may be, is required, it shall be the responsibility of the organiser of the event or gathering to ensure the cleanliness of that area as well as all appurtenant areas;
- (c) refundable cleanliness deposit, as notified by the Board, shall be collected by the authorised officer for the duration of the event from the organiser.
- (d) the deposit shall be refunded on the completion of the event after it is noted that the said publicplace has been restored back to a clean state, and any waste generated as a result of the event has been collected and transported to designated sites.
- (e) the deposit collected by the Board is only for maintenance of cleanliness of the public place and does not cover any damage to property. In case the organisers of the event wish to avail of the services of the Board for the cleaning, collection and transport of waste generated as a result of that event, they may request by making an application to the concerned department or section in the Board and pay the necessary charges as may be fixed by the competent authority for this purpose.
- (f) dumping of solid waste on vacant plot and depositing construction and demolition waste at non-designated locations shall be dealt with by the Board in the following manner, namely:—
- (i) the Board may serve a notice on the owner or occupier of any premises, requiring such owner or occupier to clear any waste on such premises in such manner and within such time as may be specified in such notice;
- (ii) if, the person on whom the notice has been served fails to comply with the requirements imposed by the notice, such person shall be liable to pay penalty for each such failure, as ordered by the competent authority or by an employee as designated by the competent authority for the said purpose;

- (iii) apart from paying the penalty on whom the aforementioned notice is served fails to comply with the requirement imposed by such notice, the competent authority or a person designated by him may, enter on the premises and clear the waste and recover from the occupier the expenditure incurred in having do so.
- Duty of manufacturers or brand owners of disposable products and sanitary napkins and diapers.—
  (1) All manufacturers of disposable products such as, tin, glass, plastic packaging, etc., or brand owners who introduce such products in the market within the jurisdiction of the Board shall provide necessary financial assistance to the Board for establishment of waste management system.
  - (2) The Board may also coordinate with the concerned departments in the Central Government and with the Government of Madhya Pradesh for implementation of these provisions.
  - (3) All such brand owners who sell or market their products in such packaging materials which are non-biodegradable shall put in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production.
  - (4) Manufacturers or brand owners or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the possibility of using all recyclable materials in their products or they shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.
  - (5) It shall be the responsibility of all such manufacturers, brand owners or marketing companies to educate the masses for wrapping and disposal of their products.
  - (6) All industrial units using fuel and located within one hundred kms' from a solid waste based refuse derived fuel plant shall make arrangements to replace at least five per cent of their fuel requirement by refused derived fuel so produced.
- 17. **Responsibility of Board.** (1) The Board shall, within its territorial area, be responsible for ensuring regular system of surface cleaning of all common areas, such as streets or roads, public places, temporary settlements, slum areas, markets, parks owned by it, gardens or drains by employing human resources and machines and shall be bound to collect the garbage from the declared storage containers, and transport it every day to the final disposal point in closed vehicles for which the Board may engage private parties or agencies on contract or public private partnership mechanism, apart from its own cleaning staff and vehicles and the Board shall also identify all the commercial areas for carrying out sweeping twice a day, if needed.
  - (2) The Board or any agency authorised by it shall provide and maintain sufficient number of community litter bins of proper size on public roads, in surroundings of railway stations, bus stops, religious places and in commercial areas, if found necessary.
  - (3) The competent authority shall, for the purpose of managing solid waste activities in decentralised and regular manner, designate one official or an employee in every ward to supervise the spots of containers, public toilets, community toilets or urinals in public places, transfer station for public garage, landfill processing units, etc.
  - (4) The competent authority shall designate adequate number of senior officials, preferably not below the rank of Assistant Sanitary Inspector or equivalent, as Nodal Officers to monitor the progress of segregation, collection, transportation, processing and disposal of solid waste.
  - (5) Each ward shall be divided into sweeping beats based on the prescribed parameter and deploy its own or outsourced manpower accordingly or rationalise the existing deployment and monitor their work by using latest and suitable technology and the Board may also enter into public private partnership for the said purpose as it deems fit for a portion of its area of responsibility.
  - (6) Each beat shall be inspected by the supervising officials on daily basis as per the directions given from time to time.
  - (7) The Board shall employ latest road or street cleaning machines, mechanical sweepers or other equipment which improves the efficiency of sweeping and drainage cleaning.
  - (8) The Board shall create awareness and sensitisation through information, education and communication campaign and educate the waste generators and other stakeholders about the various provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 and this bye-laws with special emphasis on user fee and penalties.
  - (9) The Board shall encourage waste generators to treat wet waste at source and it may consider creating systems for incentives for adoption of decentralised technologies such as bio-methanation, composting, etc.
  - (10) Incentives may be like awarding and recognising the households, Resident Welfare Associations and institutions, etc., by giving certificates, by publishing their names on respective websites or rebate in property tax, etc.

- (11) The Board shall undertake use of compost in all parks, gardens maintained by it and wherever possible, in other places under its jurisdiction.
- (12) Incentives may be provided to recycling initiatives by informal waste recycling sector.
- (13) The Board shall make efforts to streamline and formalise solid waste management systems and make all endeavour that the informal sector workers in waste management (waste pickers) are given priority to upgrade their work conditions and are enumerated and integrated into the formal system of solid waste management.
- (14) The Board shall ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniforms, fluorescent jackets, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce.
- (15) The Board shall ensure occupational safety of its own staff and staff of outsourced agency involved in collection, transport and handling of waste by providing appropriate and adequate personal protective equipments.
- (16) In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the officer- in- charge of the facility shall report to the Board immediately which shall review and issue instructions, if any, to the in- charge of the facility.
- (17) The Chief Executive Officer or any other officer authorised by him shall conduct regular checks in various parts of the wards and other places of collection, transportation, processing and disposal of solid waste and supervise compliance of various provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 and this bye-laws.
- (18) The Board shall develop a public grievance redressal system by setting up of call centre at its headquarter.
- (19) The public grievance redressal system may include short message service based service, mobile application or web based services.
- (20) The Board shall install bio-metric or smart card technologies or Information and Communication Technology System for tracking and recording attendance of employees associated with the working of the Solid Waste Management Rules, 2016 and the bye-laws at their headquarters, all zonal offices and ward offices and shall make an endeavor to integrate such system with wages or remuneration, as the case may be.
- (21) To ensure greater transparency and public accessibility, the Board shall provide all necessary information through its website.
- (22) The Board shall perform all other functions and discharge all other duties provided under the Solid Waste Management Rules, 2016, which have not been specifically mentioned in this bye-laws.

#### **CHAPTER-X**

#### **MISCELLANEOUS**

**18. Miscellaneous.**— The Board shall co-ordinate with all other government agencies and authorities, to ensure compliance of these bye-laws within areas under the jurisdiction or control of such bodies.

#### THE FIRST SCHEDULE

[See Paragraphs 4(10), 13(1)]

## USER FEE FOR SOLID WASTE MANAGEMENT

| S. No. | Categories   | User Fee from each premises/ House/ Dwelling Unit/ Flat per month (in Rupees) |
|--------|--|---|
| (1)    | (2)  | (3)   |
| 1.     | Residential dwelling unit:                         |   |
|        | (i) up to 50 square meters                         | 50  |
|        | (ii) over 50 square meters up to 200 square meters | 100   |

|     | (iii) over 200 square meters  | 200  |
|-----|---|--|
| 2.  | Street Vendor   | 100  |
| 3.  | Commercial establishments, shops, eating places (Dhaba/sweet shops /coffee house, etc.)                         | 500  |
| 4.  | Guest House/ Dharamshalas   | 2,000  |
| 5.  | Hostel  | 2,000  |
| 6.  | Restaurants up to the sitting of 50 persons   | 2,000  |
| 7.  | Restaurants with sitting of more than 50 persons  | 3,000  |
| 8.  | Hotel (Unstarred)   | 2,000  |
| 9.  | Hotel (Up to 3 star)  | 3,000  |
| 10. | Hotel (Over 3 star)   | 5,000  |
| 11. | Commercial offices, government offices, bank, insurance offices, coaching classes, educational institutes, etc. | 2,000  |
| 12. | Clinic, dispensary, laboratories (upto 50 beds) only non-bio medical waste                                      | 2,000  |
| 13. | Clinic, dispensary, laboratories (more than 50 beds) only non-bio medical waste                                 | 4,000  |
| 14. | Small and cottage industry, workshops (only non-hazardous waste)  | 3,000  |
| 15. | Godowns, cold storages (only non-hazardous waste)   | 5,000  |
| 16. | Marriage/Party Halls, festival halls, Party Lawns, exhibition and fair's  | 5,000  |
| 17. | Clubs, Cinema Halls, Pubs, Multiplexes and other such places  | 4,000  |
| 18. | Any other non-commercial, commercial, religious or charitable institutions not covered in any other category    | 2,000  |
| 19. | Other places/activity not provided above  | As decided by the Chief Executive<br>Officer by general or special order |

**Note:**—Late Payment Surcharge shall be charged at the rate of ten per cent per annum of the user fee or charges, if the user fee or charges are not paid within thirty days of raising the demand.

# THE SECOND SCHEDULE

[See Paragraph 14(1)]

# **PENALTIES**

| S. No. | Rule/ Bye-law No.       | Failures/<br>Contraventions    | Applicable to          | Penalty for<br>default<br>(in Rs.) |
|--------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| (1)    | (2)                     | (3)                            | (4)                    | (5)                                |
| 1.     | Rule 4 (1) (a) of Solid | Failure to segregate and store | Residential            | 200                                |
|        | Waste Management        | waste and handover             | Marriage/ Party Halls, | 5,000                              |

|     | Rules, 2016 read with  | segregated waste in   | Festival Halls, Party   |                |
|-----|--|---|---|----------------|
|     | paragraph 4 (1) (a)  | accordance with the Rules and bye-laws  | Exhibition and fairs with   | 5,000          |
|     |  |   | area less than 5000 sqm.  Clubs, Cinema Halls, Pubs, Community halls, Multiplexes and other such places with area less than 5000 sqm.   | 5,000          |
|     |  |   | Other non-residential entities with area less than 5000 sqm.  | 500            |
| 2.  | Rule 4 (1) (b) and (d) of<br>Solid Waste Management<br>Rules, 2016 read with<br>paragraph 4 (11) and 4 | (i) Failure to deal with<br>sanitary waste in accordance<br>with the Rules and bye-laws   | Residential   | 200            |
|     | (13)   | (ii) Failure to deal with<br>horticulture waste and garden<br>waste in accordance with the<br>Rules and bye-laws  | Non Residential   | 500            |
| 3.  | Rule 4 (1) (c) of Solid<br>Waste Management<br>Rules, 2016 read with                                   | Failure to deal with construction and demolition waste in accordance with the   | Residential   | 200            |
|     | paragraph 4 (15)   | Rules and bye-laws  | Non Residential   | 500            |
| 4.  | Rule 4 (2) of Solid Waste<br>Management Rules, 2016<br>read with paragraph 15<br>(II)                  | Open burning of solid waste   | Violator  | 5,000          |
| 5.  | Rule 4 (4) Solid Waste<br>Management Rules, 2016<br>read with paragraph 4 (10)                         | Organising an event or gathering of more than one hundred person at any unlicensed place without following the prescribed procedure in Rules and bye-laws | Person organised such<br>event or gathering or, on<br>whose behalf such event<br>or gathering has been<br>organised and the event<br>manager or managers, if<br>any, who organised such<br>event or gathering | 5,000          |
| 6.  | Rule 4 (5) of Solid Waste<br>Management Rules, 2016<br>read with paragraph 4 (12)                      | Street Vendor failing to deal with waste in accordance with the Rules and bye-laws  | Violator  | 200            |
| 7.  | Paragraph 15 (I) read with<br>rule 15 (g) of Solid Waste<br>Management Rules, 2016                     | Littering   | Offender  | 500            |
| 8.  | Rule 4(6) of Solid Waste<br>Management Rules, 2016<br>read with paragraph 4 (4)                        | Failure to deal with waste in accordance with the Rules and bye-laws  | Resident Welfare<br>Association<br>Market Association   | 5,000<br>5,000 |
| 9.  | Rule 4(7) of Solid Waste<br>Management Rules, 2016<br>read with paragraph 4 (6)                        | Failure to deal with waste in accordance with the Rules and bye-laws  | Gated Community   | 5,000          |
| 10  |  | •   | Institution   | 5,000          |
| 10. | Rule 4(8) of Solid Waste<br>Management Rules, 2016<br>read with paragraph 4 (8)                        | Failure to deal with waste in accordance with the Rules and bye-laws  | Hotel Restaurant  | 5,000          |
| 11. | Rule 17 (2) of Solid<br>Waste Management<br>Rules, 2016 read with<br>paragraph 16 (3)                  | Selling or marketing of<br>disposable products without a<br>system of collecting back the<br>packaging waste generated<br>due to their production         | Manufactures and /or<br>Brand Owner   | 5,000          |
| 12. | Rule 17 (3) of Solid<br>Waste Management<br>Rules, 2016 read with<br>paragraph 16 (4)                  | Failure to take measure in accordance with the Rules and bye-laws   | Manufactures and /or<br>Brand Owner and /or<br>marketing companies  | 5,000          |

[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 31

| <b>13.</b> Ru | ule 18 of Solid Waste    | Failure                       | to | replace | fuel  | Industrial Unit | 5,000 |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|----|---------|-------|-----------------|-------|
|               |                          | requirement by refuse derived |    |         | rived |                 |       |
| rea           | ad with paragraph 16 (6) | fuel                          |    |         |       |                 |       |

[F. No. CBM/SWM/BYE-LAWS]
VIKAS KUMAR, IDES, Chief Executive Officer,
Cantonment Board, Mhow